FORM No. 123

फर्द अहकाम

(आदेश 24 नियम 07, आदेश 32 नियम 3)

अज अदालत : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादडी

राजस्थान राज्य बनाम **राजू वगैरा**

किस्म मुकदमा : **नियमित दांडिक** प्रकरण संख्या : **2533/2014**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
10.04.2026	सहायक अभियोजन अधिकारी अनुउपस्थित। अभियुक्त नानालाल उर्फ सीताराम अनुपस्थित। अभियुक्त राजू को दिनांक 09.09.2024 का मफरूर घोषित किया गया था। अभियुक्त नानालाल उर्फ सीताराम का गिरफ्तारी वारंट अदम तामिल होकर स्वयं तामिल कुनिंदा ने उपस्थित हो, निवेदन किया कि अभियुक्त वर्तमान में अपनी सकुनत से रूहपोश है, जिसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में अनुपस्थित चल रहा है। उसे जरिये गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जा रहा था। आज तामिल कुनिंदा कानि हेमेन्द्र सिंह नं. 183 थाना छोटीसादडी के बयान लेखबद्ध किए गए। तामिल कुनिंदा द्वारा अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बचता फिर रहा है तथा अपनी सकुनत से रूहपोश है, जिसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अभियुक्त पूर्व में प्रकरण में उपस्थित हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थित हुआ है। अभियुक्त को इस प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त का स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी होकर उस पर नोट अंकित किया जावे कि अभियुक्त के स्थाई गिरफ्तारी वारंट की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास में इस न्यायालय में पेश करें साथ ही स्थाई गिरफ्तारी वारंट को थाने पर दर्ज कर उसके स्थाई वारंट रजिस्टर के दर्ज नंबर इस न्यायालय को प्रेषित किए जावे। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82–83 दं.प्र.सं. की कार्यवाही पृथक से खोली जावें। धारा 446 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही हेतु पत्रावली खोले जाने बाबत् पूर्व में आदेश दिया जा चुका है। पत्रावली नहीं खोली गई हो, तो अब खोली जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है। पत्रावली का कोई भाग जाया नहीं करें।	